तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **खेम सिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर,जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या : 72 / 2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2022	अपीलार्थी खेम सिंह जोधा, निवासी ग्राम / पोस्ट शिकारपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.02.2022 में उसके द्वारा उप जिलाधीश महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में भूमि आवंटन सलाहकार समिति के निर्णय अनुसार आवंटन आदेश क्रमांक 878 / 1971 दिनांक 29.04.1971 की पालना हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील जोधपुर को रिकॉर्ड में अमल दरामद करने बाबत प्रेषित पत्र की छायाप्रति (2) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी महोदय की दिनांक 01.03.2020 से 31.03.2020 तक की रोकड़ बही की नियमानुसार प्रमाणित छायाप्रति से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अथवा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.03.24 17:45:10 IST
Reason: SelfAttested